रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-10012023-241854 CG-DL-E-10012023-241854

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 173] No. 173] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 10, 2023/पौष 20, 1944 NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 10, 2023/PAUSHA 20, 1944

श्रम और रोजगार मंत्रलाय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2023

का.आ. 181(अ).— केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 1 फरवरी, 2023 को, उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध, अर्थात्,—

- (i) अध्याय 4 की धारा 38 से धारा 43 और धारा 45क से धारा 45ज तक;
- (ii) अध्याय 5 की धारा 46 से धारा 73 तक; और
- (iii) अध्याय 6 की धारा 74, धारा 75, धारा 76 की उपधारा (2) से उपधारा (4) तक, धारा 80, धारा 82 और धारा 83

पंजाब राज्य के फिरोजपुर जिले के सभी क्षेत्रों में, उक्त जिले के पहले से अधिसूचित क्षेत्रों के अतिरिक्त, प्रवृत होंगे।

[फा. सं. एस-38013 / 14 / 2022-एसएस-1] आलोक चंद्रा, वरिष्ठ श्रम और रोजगार सलाहकार

255 GI/2023 (1)

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 10th January, 2023

S.O. 181(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st day of February, 2023, as the date on which the provisions of the said Act, namely,—

- (i) sections 38 to 43 and sections 45A to 45H of Chapter IV;
- (ii) sections 46 to 73 of Chapter V; and
- (iii) sections 74, 75, sub-sections (2) to (4) of section 76, 80, 82 and 83 of Chapter VI,

shall come into force in all the areas of Ferozepur district, in addition to the already notified areas of the said district, in the State of Punjab.

[F. No. S-38013/14/2022-SS-I]

ALOK CHANDRA, Senior Labour and Employment Adviser